कार्यालयः— असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा

अल्पकालीन निविदा

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा के अधीनस्थ दवा, रसायन/मशीन उपकरण/सामग्रियों/उपस्करों के क्रय हेतु इच्छुक लाईसेंसधारी निर्माताओं/अधिकृत बिक्रेताओं से कम्प्यूटर द्वारा टंकित मुहरबंद निविदा निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 28.02.2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक मान्य होगा एवं निविदा दिनांक 02.03.2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को रहना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के लिए निम्नलिखित शर्त्तों का अनुपालन अनिवार्य है :—

आवश्यक शर्त्तें :—

1. (क) तकनीकी भाग (Technical Bid) — इसमें निविदा से सम्बन्धित वांछित कागजात यथा आयकर, टीन संख्या/GST No., निबंधन प्रमाण—पत्र, स्वच्छता प्रमाण—पत्र आदि एवं पूर्ण तकनीकी विवरणी संलग्न होना चाहिए। औषधि गुणवत्ता प्रमाण—पत्र, WHO, GMP प्रमाण पत्र, औषधि अनुज्ञप्ति प्रमाण—पत्र एवं GST निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा। निविदा के साथ 50,000.00 (पचास हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक Civil Surgeon, Godda Payble At SBI, Godda के नाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   (ख) वित्तीय भाग (Finantial Bid) — इसमें दवाओं आदि का नाम, इकाई दर, निर्माता कम्पनी का नाम आदि अंकित होना चाहिए।
2. तकनीकी एवं वित्तीय भाग दोनों अलग—अलग लिफाफे में मुहरबंद कर लिफाफे के उपर क्रमशः (क) तकनीकी भाग एवं (ख) वित्तीय भाग (मूल्य विवरणी) अंकित कर उसे एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
3. निविदा दो प्रतियों में अलग—अलग लिफाफे में एवं उपर लाल स्याही से डुप्लीकेट अंकित रहना आवश्यक है। डुप्लीकेट कॉपी सुरक्षित बंद रखा जा सकता है।
4. निविदादाता को नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान रूग्न/काली सूची में नहीं है।
5. निविदादाता के द्वारा तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का चेकलिस्ट संलग्न करना होगा।
6. दवा, रसायन/मशीन उपकरण/सामग्रियों/उपस्करों का दर कर (Tax) एवं परिवहन व्यय इत्यादि सम्मिलित कर देनी होगी।
7. निविदा में संलग्न दवा, रसायन/मशीन उपकरण/सामग्रियों/उपस्करों की सूची के अनुसार ही आपके द्वारा दी गयी कम्प्यूटरीकृत सूची होनी चाहिए, सूची में भिन्नता पाये जाने पर आपकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. आपूर्ति किये जाने वाले दवा एवं रसायन का सेल्फ लाईफ उनके पूरे अवधि का 80 प्रतिशत अथवा 18 माह होना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना होगा।
9. आपूर्ति की गयी दवा, रसायन/मशीन उपकरण/सामग्रियों/उपस्करों को सम्बन्धित कार्यालय के भण्डार तक अपने खर्च पर पहूँचाना होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी एक निविदा या सभी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
11. निविदा में किसी भी शर्त्त के अपूर्ण रहने अथवा आवश्यक प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं करने पर निविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
12. अनुमोदित दर अगले एक वर्ष या अगले निविदा प्रकाशन की तिथि तक मान्य होगा।
13. आपूर्ति की जानेवाली दवा पर Govt. Supply, Not For Sale अवश्य अंकित होना चाहिए।
14. इच्छुक निविदादाता का पिछले वित्तीय वर्ष का टर्न ओभर 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में चार्टर एकाउन्टेंट से प्रदत्त सत्यापित बैलेंस सीट की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
15. निविदा खुलने की तिथि को दवा, रसायन/मशीन उपकरण/सामग्रियों/उपस्करों का नमूना/डेमो के साथ निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उपस्थित होना होगा।
16. निविदा के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र गोड्डा होगा।
17. निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व या पश्चात् अगर स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची से कोई दिशा—निर्देश अथवा Rate Contract प्राप्त होगा, वैसी स्थिति में यह निविदा आंशिक रूप से रद्द/सुधार किया जा सकता है।
18. दवा, रसायन/मशीन उपकरण/सामग्रियों/उपस्करों की सूची कार्यालय अवधि में (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय या www.godda.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

19. आपूर्ति आदेश के दस दिनों के अन्दर मशीन उपकरण/सामग्रियों/उपस्कर की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके आदेश को निरस्त करते हुए अग्रधन राशि से 10 प्रतिशत की कटौती कर उसे काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा सकती है।

20. मशीन उपकरण मानक स्तर एवं गुणवत्तापूर्ण होना अनिवार्य होगा तथा रख–रखाव एवं मरम्मति पाँच वर्षों तक मुफ्त करना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा। इसके लिए अनुमोदित फर्म को पाँच वर्षों का AMC करना होगा।

21. आपूर्तिकर्ता को छोटी से छोटी मात्रा भी आपूर्ति करनी होगी।

22. आपूर्तिकर्ता को एनुअल मेंटेनेंस का दर एवं गारंटी/वारंटी कार्ड समर्पित करना होगा।

23. मशीन उपकरण/सामग्रियों/उपस्करों की गुणवत्ता, परिमाण तथा दर को ध्यान में रखते हुए क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

24. निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये गये मशीन उपकरण/सामग्री/उपस्कर उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। साथ ही उसका ISO/ISI/CE प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

25. विभागीय निर्देशानुसार GEM Portal पर दवा, रसायन/मशीन उपकरण/सामग्री/उपस्कर उपलब्ध रहने की स्थिति में उन्हें पहली प्राथमिकता दी जायेगी।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा।

कार्यालयः— असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा

अल्पकालीन निविदा

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा के अधीनस्थ दवा, रसायन / मशीन उपकरण / सामग्री / उपस्कर के क्रय हेतु इच्छुक लाईसेंसधारी निर्माताओं / अधिकृत बिक्रेताओं से कम्प्यूटर द्वारा टंकित मुहरबंद निविदा निबंधित / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 28.02.2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक मान्य होगा एवं निविदा दिनांक 02.03.2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को रहना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दवा, रसायन / मशीन उपकरण / सामग्री / उपस्कर की सूची एवं आवश्यक शर्त्तें कार्यालय अवधि में (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय या www.godda.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा।